



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 211] नई दिल्ली, शनिवार, मई 19, 1979/वैशाख 29, 1901
No. 211] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19, 1979/VAISAKHA 29, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 1979

का. आ. 293 (अ).—केंद्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध
अधीनस्थ, 1952 (1952 का 19) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ
का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अपर सचिव को केंद्रीय न्यासी
बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती हैं और 10 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र

के भाग दो खण्ड 3 ii में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा. का. 236 तारीख 16 दिसम्बर, 1975 में निम्नीलिखित और संशोधन करती हैं अर्थात्,—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या-2 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नीलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए :

“2. अपर सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली-1” ।

[संख्या वी-20012(1)/75-पी. एफ-2(भाग)]

हंसराज छाबड़ा, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 1979

S.O. 293(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints, the Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Labour, as a member of the Central Board of Trustees and makes the following further amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 236, dated the 16th December, 1975 published in Part II, Section 3(ii) of the Gazette of India, dated the 10th January, 1976, namely :—

In the said Notification for the entry against Serial No. 2, the following entry shall be substituted namely :

“2. The Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi.”

[No. V-20012(1)/75-PFII (Part)]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.